SPICES BOARD
(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H. By-pass
P.B. No. 2277
Palarivattom P.O.
Cochin - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन. एच. बाईपास
पी. बी. नं 2277
पालारिवट्टम पी. ओ.
कोचिन - 682 025, भारत

संख्या : सतर्कता-का.ज्ञा./0002/2013-सतर्कता 1285

25 नवंबर, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय : महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का सामना करने हेतु आंतरिक परिवाद समिति का पुनर्गठन - बाबत

संदर्भ : 1. महिलाओं का कार्यस्थल पर लांगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

2. महिलाओं का कार्यस्थल पर लांगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 को नियंत्रित करनेवाले नियम

3. कार्यालय ज्ञापन संख्या : सतर्कता-का.ज्ञा./002/2013-सतर्कता दिनांक 27 दिसंबर, 2017

महिलाओं का कार्यस्थल पर लांगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित आंतरिक परिवाद समिति को, निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है:

1. डॉ. ए.बी. रेमाश्री , निदेशक (अनुसंधान व विकास) - पीठासीन अधिकारी
2. श्रीमती सी.एम. श्रीलता, वैज्ञानिक सी - सदस्य
3. श्रीमती रश्मी ई जी, विस्तार सहायक - सदस्य
4. श्री एन रमेश बाबु, वैज्ञानिक सी - सदस्य (पुरुष)
5. एड्वोकेट सुश्री सुजाता, सचिव, एएसडब्ल्यूएएस, एनजीओ - सदस्य

भारत सरकार द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लांगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के नियंत्रण केलिए बनाए गए नियमों में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, शिकायत प्राप्त होने पर आंतरिक समिति को क्या करना चाहिए, शिकायत की जांच करने का तरीका, जांच लंबित होने पर शिकायतकर्ता को राहत, शिकायत पर कार्रवाई करने का तरीका, मिथ्या या विद्वेषपूर्ण शिकायत पर कार्रवाई, अपील करने का प्रावधान, समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना आदि स्पष्ट रूप से बताया गया है।

अधिनियम के अनुसार, 'लैंगिक उत्पीड़न' के अंतर्गत निम्नलिखित कोई भी एक या अधिक अवांछनीय कार्य या व्यवहार (चाहे प्रत्यक्ष रूप से या विवक्षित रूप से) हैं अर्थात् :

क. शारीरिक संपर्क और अग्रगमन; या
ख. लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना; या
ग. लैंगिक अत्युक्त टिप्पणियाँ करना; या
घ. अश्लील साहित्य दिखाना; या
ङ. लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना

अधिनियम में यह भी स्पष्ट किया है कि अन्य परिस्थितियों में निम्नलिखित परिस्थितियाँ, यदि लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य या आचरण के संबंध में होती है या विद्यमान है या उससे संबद्ध हैं, लैंगिक उत्पीड़न की कोटि में आ सकेंगी: -

i. उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार का विवक्षित या सुस्पष्ट वचन देना; या
ii. उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार की विवक्षित या सुस्पष्ट धमकी देना; या
iii. उसके वर्तमान या भावी नियोजन की प्रास्थिति के बारे में विवक्षित या सुस्पष्ट धमकी देना; या
iv. उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या उसकेलिए अभित्रासमय या संतापकारी या प्रतिकूल कार्य वातावरण सृजित करना; या
v. उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने की संभावना वाला अपमानजनक व्यवहार करना

बोर्ड की महिला कर्मचारी, आउटसोर्स महिलाएं, आगंतुक आदि, यदि वे किसी भी प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न का सामना करते हैं, तो उपरोक्त शिकायत समिति, जो, दिनांक 9 दिसंबर, 2013 के राजपत्रित अधिसूचना के द्वारा, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लांगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' और 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लांगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' के नियंत्रण करनेवाले तदनुरूप नियमों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार जांच-पड़ताल/अन्वेषण करेगी और उपयुक्त कार्रवाई हेतु अनुशासन प्राधिकरण को संस्तुत करेगी, उसको मामला रिपोर्ट कर सकते हैं।

'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' और अधिनियम को नियंत्रित करनेवाले नियम की प्रति संलग्न की जाती है।

डी. सत्यन
सचिव

सेवा में,

1. डॉ. ए.बी. रेमाश्री , निदेशक (अनुसंधान व विकास) - पीठासीन अधिकारी
2. श्रीमती सी.एम. श्रीलता, वैज्ञानिक सी - सदस्य
3. श्रीमती रश्मी ई जी, विस्तार सहायक - सदस्य
4. श्री एन रमेश बाबु, वैज्ञानिक सी - सदस्य(पुरुष)
5. एड्वोकेट सुश्री सुजाता, सचिव, एएसडबल्यूएएस, एनजीओ - सदस्य

संलग्न : यथोपरि

प्रतिलिपि :- 1. सभी अनुभागों/विभागों/कार्यालयों के प्रमुख तथा इंट्रानेट के ज़रिए फील्ड में - आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को सूचना और उनके बीच परिचालनार्थ

2. नोटिस बोर्ड

SPICES BOARD
(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H. By-pass
P.B. No. 2277
Palarivattom P.O.
Cochin - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन. एच. बाईपास
पी. बी. नं 2277
पालारिवट्टम पी. ओ.
कोचिन - 682 025, भारत

No. Vig-OM/0002/2013- Vigilance /285

Dated 25th November 2020

OFFICE MEMORANDUM

Sub:- Reconstitution of Internal Complaints Committee to combat Sexual harassment of Women at Work place- reg.

Ref:- 1. The Sexual harassment of women at work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013.
2. Rules governing the Sexual harassment of women at work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013.
3. Office Memorandum No. Vig.OM/002/2013-Vigilance dt. 27th December 2017.

It has been decided to reconstitute the Internal Complaints Committee constituted under the Sexual harassment of women at work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 with following members with immediate effect.

1.	Dr. A B Rema Shree, Director(R&D)	-	Presiding Officer
2.	Smt. C M Sriiatha, Scientist C	-	Member
3.	Smt. Reshmi E G, Extension Assistant	-	Member
4.	Shri. N Ramesh Babu, Scientist C	-	Member (Male)
5.	Adv. Ms. Sujatha, Secretary, ASWAS	-	Member NGO

In the Rules framed by GOI governing the sexual harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 clearly elaborates the process of lodging complaint, what the Internal Committee should do on receiving the complaint, manner of inquiring into the complaint, relief to the complainant on pendency of the inquiry, manner of taking action on complaint, action on false or malicious complaint, provision for appeal, preparation of annual report by the Committee etc.

According to the Act, Sexual harassment includes any one or more of the following unwelcome acts or behaviour (whether directly or by implication) namely:-

a. physical contact and advances; or
b. a demand or request for sexual favours; or
c. making sexually coloured remarks; or
d. showing pornography; or
e. any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature

.....2

It is also further specified in the Act that the following circumstances, among other circumstances, if it occurs or is present in relation to or connected with any act or behaviour of sexual harassment amount to sexual harassment:-

i. implied or explicit promise of preferential treatment in her employment; or
ii. implied or explicit threat of detrimental treatment in her employment; or
iii. implied or explicit threat about her present or future employment status; or
iv. interference with her work or creating an intimidating or offensive or hostile work environment for her; or
v. humiliating treatment likely to affect her health or safety.

The women employees of the Board, outsourced women, visitors etc, if they face sexual harassment of any sort, may report the matter to the above Complaint Committee who shall look into/ investigate the same as required under the sexual harassment of women at work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 and corresponding Rules governing the Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 notified by the Ministry of Women and Child Development vide gazette notification dated 9th December 2013 and recommend to the Disciplinary Authority for suitable action.

A copy of the Sexual harassment of women at work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 and Rules governing the Act is enclosed.

SECRETARY

To

1. Dr. A B Rema Shree, Director(R&D)	-	Presiding Officer
2. Smt. C M Srilatha, Scientist C	-	Member
3. Smt. Reshmi E G, Extension Assistant	-	Member
4. Shri. N Ramesh Babu, Scientist C	-	Member (Male)
5. Adv. Ms. Sujatha, Secretary, ASWAS	-	Member NGO

Encl: As above

Copy to:- 1. All Heads of Section/ Department/ Offices and in the field through intranet- for information and circulation among the outsourced women employees.
2. Notice Board.